



उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

(उत्तराखण्ड सरकार)



संस्कृतभवनम्, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407

डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना व गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना
(केवल प्रथमा से उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में पंजीकृत संस्थागत विद्यार्थियों हेतु)

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को पूरित करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश एवं नियम

- 1- उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा संस्कृत शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में प्रथमा से उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (कक्षा 06 से कक्षा 12) में पंजीकृत संस्थागत विद्यार्थियों को "डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकतम 200 छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह रुपये 250.00/- के अनुसार प्रतिवर्ष 3000.00/- रुपये तथा "गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत सभी वर्गों की अधिकतम 200 छात्राओं को प्रतिमाह रुपये 250.00/- के अनुसार प्रतिवर्ष 3000.00/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- 2- डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत संस्थानम् को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर पूर्व उत्तीर्ण कक्षा में सर्वोच्च प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 200 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी तथा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भी 200 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर चयन हेतु इसी नियम का पालन किया जायेगा।
- 3- छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाणपत्रों की प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न कर निर्धारित तिथि 10.10.2026 तक संस्थानम् कार्यालय को पंजीकृत डाक/बॉय हैण्ड/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्रों व बिना वांछित व बिना स्पष्ट संलग्नकों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र ससमय जमा करने हेतु सभी प्रपत्र (केवल PDF फॉर्मेट) में निर्धारित तिथि 10.10.2026 तक संस्थानम् की अधिकारिक ई-मेल आईडी ukxa2002@gmail.com पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं, किन्तु मूल आवेदन पत्र को सभी संलग्नकों सहित दिनांक 20.10.2026 तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/बाय हैंड के माध्यम से संस्थानम् कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 5- संस्थानम् कार्यालय को निर्धारित तिथि 10.10.2026 के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कदापि विचार नहीं किया जायेगा, अतः किसी भी प्रकार की असुविधा व तकनीकी त्रुटि से बचने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करने के उपरांत व्हाट्सएप नम्बर 9639816869 पर भी सूचित करें।
- 6- संस्थानम् को निर्धारित तिथि 10.10.2026 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों व संलग्न प्रपत्रों के निरीक्षणोपरान्त त्रुटि रहित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार कर छात्रवृत्ति भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, किन्तु विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचना के असत्य/अप्रमाणिक/अपूर्ण पाये जाने पर विद्यार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा व इस हेतु छात्र/छात्रा का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 7- जिन छात्राओं को डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हो रहा हो वे गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के लिए अर्ह नहीं होंगी। छात्रा को दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक ही योजना का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। अतः दोनों में से एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें बाद में संज्ञान में आने पर दी गयी दोहरी छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
- 8- डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा के पास सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथापि यदि छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उस स्थिति में अभिभावक (माता-पिता या भाई-बहिन) का सत्यापित जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 9- आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है, जिससे किसी भी प्रकार के सत्यापन/जानकारी हेतु सम्पर्क किया जा सके।
- 10- विद्यालय द्वारा सभी छात्र/छात्राओं के पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित एकत्रित करके "गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण प्रारूप 01 पर तथा "डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण प्रारूप 02 पर भर कर संस्थानम् कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
- 11- आवेदन पत्र में किसी भी विद्यालय द्वारा गलत एवं भ्रामक सूचना दिये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा इसकी सूचना सचिव, संस्कृत शिक्षा को उनके संज्ञानार्थ प्रेषित की जायेगी।
- 12- यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र/छात्रा के सम्बन्ध में भविष्य में संस्थानम् को कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है कि छात्र/छात्रा द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत सूचना प्रदान करके छात्रवृत्ति प्राप्त की गयी है तथा संस्थानम् की जाँच में शिकायत सही साबित हो जाती है तो छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि संस्थानम् को वापस/प्रत्यर्पित करनी होगी तथा ऐसे छात्र/छात्रा को भविष्य में संस्थानम् की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 13- छात्रवृत्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सम्बन्धित छात्र अथवा छात्रा के स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित की जायेगी। अतः छात्र/छात्रा के स्वयं के बैंक खाते का ही विवरण उपलब्ध कराये तथा अभिभावक का बैंक खाता संलग्न न करें।
- 14- आवेदन पत्र भरने से पूर्व नियमावली व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- 15- आवेदन पत्र भरने से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण/जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 9720438344 पर सम्पर्क करें।



(प्र० विनय कुमार)

सचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

प्रारूप-02 उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना 2026-2027 हेतु प्रेषित कुल आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण

प्रारूप-02 उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना 2026-2027 हेतु प्रेषित कुल आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण

प्रारूप-02 उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना 2026-2027 हेतु प्रेषित कुल आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण

[illegible]

मोबाइल नम्बर—

ई-मेल आईडी-

हस्ताक्षर व मोहर प्रधानाचार्य

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

संस्कृतभवनम्, राष्ट्रिय राजमार्ग, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407

डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना 2026-2027

(कक्षा प्रथमा से उत्तरमध्यमा तक केवल संस्थागत छात्र/छात्राओं हेतु)

छात्र/छात्रा विवरण

क्र०

छात्र/छात्रा का नाम

पिता का नाम

जन्म तिथि

विद्यालय का नाम

कक्षा

प्रधानाचार्य द्वारा
प्रमाणित फोटो

विद्यालय में छात्र/छात्रा की पंजीकरण संख्या

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

छात्र/छात्रा की आधार कार्ड संख्या

(आधार कार्ड की सुस्पष्ट व प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

छात्र/छात्रा अथवा अभिभावक का जाति प्रमाणपत्र संख्या

जारी करने की दिनांक

नोट :- छात्र/छात्रा अथवा अभिभावक का सक्षम स्तर से जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र की सुस्पष्ट व प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

बैंक विवरण

खाताधारक का नाम (अंग्रेजी में)

खाता संख्या

बैंक का नाम व पता

आई0एफ0एस0सी0 कोड

(लाभार्थी के बैंक पासबुक की सुस्पष्ट व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/नाम

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

मोबाइल नम्बर -

मोहर -

दिनांक -

मोबाइल नम्बर -